From

Director Higher Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula

To

The Principal

1. All Govt. colleges
2. All Non Govt. Aided Colleges
3. All Self Financed Colleges
   (in the state of Haryana)

Memo No.: 13/6-2018 NPE (2)
Dated: Panchkula, the 12/X/18.

Subject:- **Published Notification- regarding out of turn appointment of outstanding sportsperson of Haryana.**

****

Kindly refer to the subject cited as above.

A copy of letter No. No. 4/40/2017-4SYA dated 05.09.2018 received from Sports & Youth Affairs Department, Panchkula is sent to you to achieve the motive of the following points:-

1. To give wide publicity to State Govt. Notification, Public Rules relating to Out of Turn appointment to outstanding sports person, so that it percolates to students/ common man effectively.
2. To motivate college students towards sports activities
3. Through circulate such kind of policies, promote Sports activities and boost physical and mental health.

Endst:- As above

Kuldeep 11/10/18

Deputy Director Sports
for Director Higher Education, Haryana
Panchkula

email id : hechrynpe@gmail.com
DD Sports/English Letter

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147–2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018 (BHADRA 14, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग,

अधिसूचना

दिनांक, 5 सितम्बर, 2018.

संख्या–4/40/2017–4खे.यु.क.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. (1) ये नियम हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये सभी विभागों, सरकार द्वारा सारभूत रूप से वितपोषित या सरकार के नियन्त्रणाधीन बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों, आयोगों, अभिकरणों, विश्वविद्यालयों तथा अधिकरणों को लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "विभाग" से अभिप्राय है, खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा ;

(ख) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है हरियाणा राज्य की सरकार ;

(घ) "राष्ट्रीय खेल संघ" से अभिप्राय है, युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संघ के रूप में ज्ञात या किसी अन्य नाम से पंजीकृत राष्ट्रीय स्तर खेल निकाय ;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "राज्य" से अभिप्राय हैं, हरियाणा राज्य।

3. (1) विश्व चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कामनवैल्थ चैम्पियनशिप तथा विश्व विश्वविद्यालय क्रीडाओं के मामले में नियुक्ति के लिए विचारे जाने वाले खेल विषय उपनियम (2) तथा (3) में यथा उपबन्धित किये जाएंगे। सुविचारित किये जाने वाले खेल विषय।

(2) अनुसूची–I या अनुसूची–II की प्रवर्ग संख्या 2, 5क, 6क या 7क के अधीन नियुक्ति के लिए केवल ओलम्पिक खेलों में शामिल खेल विषय विचारे जाएंगे।

(3) या तो अनुसूची –I या अनुसूची–II की प्रवर्ग संख्या 5ख, 6ख या 7ख के अधीन नियुक्ति के लिए खेल विषय जो ओलम्पिक खेलों में शामिल नहीं हैं, किन्तु एशियन खेलों या कामनवैल्थ खेलों में शामिल हैं, विचारे जाएंगे।

भर्ती का ढंग।

4. (1) तत्समय लागू किसी अन्य नियम, पॉलिसी या हिदायत में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उत्कृष्ट खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल इवेन्ट के मामले में अनुसूची–I या टीम इवेन्ट के मामले में अनुसूची–II जो भी लागु हो के अनुसार वास्तविक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए तभी विचारा जाएगा यदि सुंसगत मैडल विजेता प्रदर्शन या भागीदारी, जैसी भी स्थिति हो, इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व अभिलिखित की गई थी ।

(2) चार खिलाड़ियों तक को मिलाकर बनने वाली टीम के किसी सदस्य को अनुसूची–I के अधीन विचारा जाएगा। अनुसूची–II पांच या अधिक खिलाड़ियों से मिलाकर बनने वाली टीम के सदस्य को लागू होगी।

(3) अनुसूची–II के अधीन विचारण के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उस खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेली गई क्रीडाओं के कम से कम पचास प्रतिशत क्रीडाएं खेली हुई होनी चाहिए।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए केवल वरिष्ठ स्तर पर खेल आयोजन (इवेन्ट) को विचारा जाएगा।

आरक्षण।

5. इन नियमों के अधीन नियुक्तियां खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध की जाएंगी। पैरा, नेत्रहीन, बधिर तथा विशेष ओलम्पिक खेलों के लिए नियुक्तियां निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध की जाएंगी।

व्याख्या.– सरकार अपने विवेक पर खिलाड़ियों के लिए विशेष पद सृजित कर सकती है ताकि खेल कोटा के अधीन रिक्तियों की कमी इन नियमों के अधीन नियुक्तियों में बाधा न कर सके।

पात्रता मापदण्ड।

6. (1) प्रतिभाशाली खिलाड़ी भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर या तो राज्य के लिए खेला हो या राज्य का अधिवासी / निवासी हो ।

(3) खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) खिलाड़ी वैध आवेदन की प्राप्ति की तिथि को पद पर नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु से कम तथा पचास वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

अपात्रता

7. (1) खिलाड़ी इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अपात्र होगा यदि उसने धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल के लिए कोई अस्तिवयुक्त संविदा की हो:

परन्तु भारत या राज्य या राष्ट्रीय खेल संघ के लिए खेलना व्यावसायिक खेल नहीं होगा।

(2) खिलाड़ी इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अपात्र होगा यदि वह खेल सम्बन्धी कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देने, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि खेल की शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, अखंडता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी है।

(3) यदि इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उसकी नियुक्ति के पश्चात् किसी समय पर खेल से सम्बन्धित किसी ऐसे कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तुरन्त समाप्त कर दी जाएंगी ।

योग्यताएं ।

8. (1) तकनीकी या व्यावसायिक स्वरूप जैसे कि विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला इत्यादि की योग्यता से अन्यथा नियुक्ति करने वाले विभाग के सेवा नियमों में पद के लिए विहित अनिवार्य योग्यताएं या अनुभव प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर लागू नहीं होंगी। नियुक्त व्यक्ति के लिए परिवीक्षा अवधि के भीतर ऐसी अनिवार्य योग्यता (योग्यताएं) प्राप्त करना तथा ऐसे विशेष पाठयक्रम (पाठयक्रमों) या प्रशिक्षण (प्रशिक्षणों) को पूरा करना अपेक्षित होगा, जो नौकरी के लिए जिम्मेवारियों के निर्वहन में नियुक्ति करने वाले विभाग द्वारा अनिवार्य समझी जाती हैं।

(2) इस प्रकार नियुक्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए सेवा में पुष्टि से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के बराबर सभी विहित परीक्षाएं पास करनी अपेक्षित होंगी।

नियुक्ति के लिए प्रक्रिया।

9. (1) पात्र खिलाड़ी प्रतिभाशाली खेल उपलब्धि, जन्म तिथि, पात्रता इत्यादि के सबूत के साथ व्यक्तिगत इवेन्ट के लिए प्ररूप–I तथा टीम इवेन्ट के मामलों में प्ररूप – II में आवेदन प्रस्तुत करेगा। और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन विभाग को भेजेगा।

(2) विभाग खिलाड़ी से आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नौकरी के उपयुक्त प्रवर्ग के लिए मुख्य सचिव के कार्यालय को सिफारिश करेगा। मुख्य सचिव आवेदन सम्बन्धित विभाग को भेजेगा जहां खिलाड़ी की नियुक्ति के लिए रिक्ति उपलब्ध है।

(3) प्रारम्भिक नियुक्तियां चाहे हरियाणा सिविल सेवा, हरियाणा पुलिस सेवा या किसी अन्य ग्रुप क, ख, या ग पदों पर "खेल" शब्द कोष्ठक में लिखकर की जाएगी जो अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने पर ही समाप्त की जाएगी जो नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार नियुक्ति करने वाले विभाग द्वारा विहित की जाए।

(4) जब तक उप नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति के आदेश से "खेल" शब्द समाप्त नहीं किया जाता है तब तक सभी तैनातियां विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यावसायिक प्रगति वाले अलग खेल काडर में खेलों को प्रोन्नत करने हेतु की जाएंगी।

(5) यदि नियुक्त व्यक्ति विहित पाठयक्रम तथा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ है, तो परिवीक्षा अवधि स्वतः बढ़ाई गई समझी जाएगी।

10. (1) विभाग खेलों को प्रोन्नत करने के लिए ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किसी भी समय पर कर सकता है। विभाग की वैवेकिक शक्ति।

11. (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए किन्ही सेवा नियमों में दी गई किसी बात के असंगत होते हुए भी, इन नियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव ।

(2) अधिसूचना संख्या खेल–स्थापना डी ए–1–2014/23501–23555, दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा जारी पॉलिसी इसके द्वारा विखंडित की जाती है :

परन्तु खिलाड़ी, जिसका आवेदन इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को उक्त पॉलिसी के अधीन लम्बित है, इन नियमों के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होगा तथा उसका पूर्व आवेदन विचारा नहीं जाएगा।

अनुसूची –I

[देखिए नियम 4 (1)]

एकल इवेन्ट

प्रवर्ग संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजित करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			प्रतिभागी	
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	क्वार्टर फाइनल या उस से ऊपर	क्वार्टर फाइनल से नीचला स्तर
1.	ओलम्पिक	आई ओ सी	एच.सी.एस. या एच.पी.एस. (8 वर्ष की वरिष्ठता सहित)	एच.सी.एस. या एच.पी.एस. (4 वर्ष की वरिष्ठता सहित)	एच.सी.एस. या एच.पी.एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी					
2.	चार वर्षीय विश्व चैम्पियनशिप	आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	एच.सी.एस. या एच.पी.एस. (4 वर्ष की वरिष्ठता सहित)	एच.सी.एस. या एच.पी. एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच. पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग
3.	एशियन खेल	ओ सी ए	एच.सी.एस. या एच.पी.एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी					
4.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)						
5.क	विश्व चैम्पियनशिप– (वार्षिक या द्वैवार्षिक)	आई ओ सी/ आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	आई बी एस ए विश्व खेल	आई बी एस ए					
	डैफलम्पिक	आई सी एस डी					
5. ख	विश्व चैम्पियनशिप (1, 2 या 4 वर्ष में एक बार)	आई ओ सी/ आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य

6.क	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य
6ख	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
7.क	एशियन /कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1, 2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी/ आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	स्पेशल ओलम्पिक	एम वाई ए एस द्वारा मान्यता अनुसार					
7.ख	एशियन / कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रयुक्त संकेताक्षर:

ए पी सी –एशियन पैरालम्पिक समिति

सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ

एच. सी. एस. – हरियाणा सिविल सेवा

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति

आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ

एम वाई ए एस – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया

एच. पी. एस – हरियाणा पुलिस सेवा

आई बी एस ए – अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल संघ

आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति

अनुसूची–II

(देखिए नियम 4 (1))

टीम इवेन्ट

प्रवर्ग संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजित करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			प्रतिभागी	
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	क्वार्टर फाइनल या उस से ऊपर	क्वार्टर फाइनल से नीचला स्तर
1.	ओलम्पिक	आई ओ सी	एच.सी.एस. या एच.पी.एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच. पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप क	ग्रुप ग	ग्रुप ग
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी					
2.	चार वर्षीय विश्व चैम्पियनशिप	आई ओ सी / आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	एच.सी.एस. या एच. पी. एस.	ग्रुप क (एच.सी. एस. या एच. पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप क	ग्रुप ग	ग्रुप ग
3.	एशियन खेल	ओ सी ए	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी					
4.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)						
5. क	विश्व चैम्पियनशिप (वार्षिक या द्वैवार्षिक)	आई ओ सी / आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	आई बी एस ए विश्व खेल	आई बी एस ए					
	डैफलम्पिक	आई सी एस डी					
5. ख	विश्व चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
6.क	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य
6.ख	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य

7.क	एशियन /कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	स्पेशल ओलम्पिक	एम वाई ए एस द्वारा मान्यता अनुसार					
7.ख	एशियन /कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी/आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	4 वर्षीय नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप	डबल्यू बी सी सी					

प्रयुक्त संकेताक्षर :

ए पी सी –एशियन पैरालम्पिक समिति

सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ

एच. सी. एस. – हरियाणा सिविल सेवा

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति

आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ

एम वाई ए एस – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया

डबल्यू बी सी सी – विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद्

एच. पी. एस – हरियाणा पुलिस सेवा

आई बी एस ए – अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल संघ

आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति

दिनांक 5 सितम्बर, 2018.

डॉ. अशोक खेमका,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग।

आवेदन संख्या

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

प्ररूप –I

(देखिए नियम 9(1))

एकल इवेन्ट

स्वतः सत्यापित फोटो

1. नामः ....
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें): ....
3. मेल पताः..
4. आधार नं0: .... मोबाईल फोन नं0 ....
5. क्या आप हरियाणा के अधिवासी /निवासी हैं ? हाँ /नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. यदि नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी /निवासी हैं ? ....
7. क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ /नहीं
8. यदि हाँ, किस राज्य /ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है ? ....
9. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
10. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशत (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें): ....
11. खेल विषय का नामः ....
12. सर्वोतम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):
    - (i) खेल– प्रतियोगिता का नामः ....
    - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरणः ....
    - (iii) मास तथा वर्षः ....
    - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थानः ....
    - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तरः ....
    - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो): ....
    - (vii) क्या क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है? हाँ /नहीं

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैने हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018 पढ़ लिये हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं।
3. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य /संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूं।
5. यदि नियुक्ति दी जाती है तो मैं वचन देता हूं कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूगां।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा मे मेरी सेवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाएं।

दिनांकः

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक : ....

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधि प्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई है तथा सही पाई गई हैं।

नाम ...., आधार संख्या .... आवेदन पत्र क्रमांक .... को.. की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूचीः

1. अधिवास /निवास प्रमाण–पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांकः

(निदेशक खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांकः

(प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग)

आवेदन संख्या ....

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

प्ररूप –II

(देखिए नियम 9(1))

टीम इवेन्ट

स्वतः सत्यापित फोटो

1. नामः ....
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें):......................................
3. मेल पताः ....
4. आधार नं0: .... मोबाईल फोन नं0 ....
5. क्या आप हरियाणा के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ /नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी /निवासी हैं ?...
7. क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं? हाँ /नहीं
8. यदि हाँ, किस राज्य ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है? ....
9. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण पत्र संलग्न करें): ....
10. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशत (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें): ....
11. खेल विषय का नामः ....
12. सर्वोतम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें): ....
    - (i) खेल-– प्रतियोगिता का नामः ....
    - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरणः ....
    - (iii) मास तथा वर्षः ....
    - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थानः ....
    - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तरः ....
    - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो): ....
    - (vii) क्या क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है ? हाँ / नहीं
    - (viii) खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेलें गए खेलों की कुल संख्याः ....
    - (ix) खेल प्रतियोगिता में मेरे द्वारा खेलें गए खेलों की संख्याः ....

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैने हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018 पढ़ लिए हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं ।
3. मैं उपरोक्त क्रम संख्या 12 पर वर्णित खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों में से पचास प्रतिशत या अधिक में खेला हूं।
4. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।

5. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैंच फिक्सिग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूं।

6. यदि नियुक्ति दी जाती है तो मैं वचन देता हूं कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा मे मेरी सेंवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाए।

दिनांकः

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांकः

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
निदेशक खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधिप्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई है, तथा सही पाई गई हैं।

नाम ...., आधार संख्या .... आवेदन पत्र क्रंमाक .... को.. की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूचीः

1. अधिवास /निवास प्रमाण–पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रगाण–पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांकः

(निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांकः

(प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग)

HARYANA GOVERNMENT

SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

The 5th September, 2018

No. 4/40/2017-4SYA.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for recruitment and conditions of service of outstanding sportspersons in various services of the Government, namely:-

Short title, commencement and application.

1. (1) These Rules may be called the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all Departments, Boards, Corporations, Authorities, Commissions, Agencies, Universities and Tribunals substantially funded by the Government or under the control of the Government.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Department" means the Sports and Youth Affairs Department, Haryana;

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(d) "National Sports Federation" means a registered national level sports body, known as a Federation or in any other name, duly recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India;

(e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(f) "State" means the State of Haryana.

Sports disciplines to be considered.

3. (1) Sports disciplines to be considered for appointment in the case of World Championship, Asian Championship, Commonwealth Championship and World University Games shall be as provided under sub-rules (2) and (3).

(2) Sports disciplines included in Olympic Games only shall be considered for appointment under category numbers 2, 5A, 6A or 7A of either Schedule-I or Schedule-II.

(3) Sports disciplines not included in Olympic Games, but included in either Asian Games or Commonwealth Games, shall be considered for appointment under category numbers 5B, 6B or 7B of either Schedule-I or Schedule-II.

Method of recruitment.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any other rule, policy or instruction for the time being in force, an outstanding sportsperson shall be eligible to be appointed to a post strictly as per Schedule-I in case of an individual event or Schedule-II in case of a team event, whichever is applicable:

Provided that an outstanding sportsperson shall be considered for appointment under these rules even if the relevant medal winning performance or participation, as the case may be, was recorded prior to the commencement of these rules.

(2) A member of a team consisting of upto four players shall be considered under Schedule-I. The Schedule-II shall apply for a member of a team consisting of five or more players.

(3) For consideration under Schedule-II, the outstanding sportsperson must have played in not less than fifty percent of the games played by the team in that tournament.

(4) For consideration of appointment under these rules, only sports events at senior level shall be considered.

Reservation.

5. Appointments under these rules shall be made against the vacancies reserved for sportspersons. For Para, Blind, Deaf and Special Olympic Sports, the appointments shall be made against vacancies reserved for Persons with Disabilities.

Explanation.— The Government may at its discretion create special posts for sportspersons so that the lack of vacancies under the sports quota is not an impediment to the appointments under these Rules.

6. (1) The outstanding sportsperson must be a citizen of India. Eligibility criteria.

(2) The outstanding sportsperson must have either played for the State at the national level or be a domicile/resident of the State.

(3) A sportsperson who has represented any other State or Union Territory at the national level shall not be eligible for appointment under these rules.

(4) The age of the sportsperson shall not be less than the minimum age specified for appointment to the post and not above fifty years on the date of receipt of valid application.

7. (1) A sportsperson shall be ineligible for appointment under these rules in case he has any subsisting contract for pecuniary gains like commercial endorsement or professional sport: Ineligibility.

Provided that playing for India or State or National Sports Federation shall not be professional sport.

(2) A sportsperson shall be ineligible for appointment under these rules if he is guilty of sports related misconduct like doping, sexual harassment and abuse, competitive manipulation like betting, inside information, match fixing, tanking threatening the integrity and essence of sports.

(3) In case a person appointed under these rules is found guilty of any such sports related misconduct at any time subsequent to his appointment, his service shall be terminated immediately.

8. (1) Essential qualifications or experience prescribed for the post in the service rules of the appointing Department, other than qualification of a technical or professional nature like law, medicine, engineering, architecture etc., shall not be applicable at the time of the initial appointment. The appointee shall, however, be required to obtain such essential qualification(s) and complete such specific course(s) or training(s) within the probation period, which is considered essential by the appointing Department to discharge the responsibilities meant for the job. Qualification.

(2) An outstanding sportsperson so appointed shall be required to pass all prescribed tests at par with other categories of appointees before confirmation in service.

9. (1) An eligible sportsperson shall submit an application in Form-I for individual event and in Form-II in case of team event along with proof of outstanding sports achievement, date of birth, eligibility etc. and forwarded by the National Sports Federation recognized, duly signed by the President or Secretary General of the National Sports Federation, to the Department. Procedure for appointment.

(2) The Department shall recommend to the office of Chief Secretary, the appropriate category of job after verification of original documents within thirty days of the receipt of application from the sportsperson. The Chief Secretary shall forward the application to the concerned Department where vacancy is available for appointment of the sportsperson.

(3) The initial appointments whether in Haryana Civil Service, Haryana Police Service or any other Group A, B or C posts shall be made with the word "Sports" in parenthesis that shall be dropped only upon obtaining the essential qualification which may be prescribed by the appointing Department as per sub-rule (1) of rule 8.

(4) Unless the word "Sports" is dropped from the order of appointment as per the provisions of sub-rule (3), all postings shall be within a separate sports cadre for promoting sports, carrying such prospects of career progression as may be specified by the Department.

(5) In case an appointee is unable to complete the prescribed course and training successfully, the probation period shall automatically be deemed to have been extended.

10. The Department may at any time utilize the services of such appointees for promoting sports. Discretionary power of Department.

11. (1) Notwithstanding anything inconsistent contained in any service rules framed under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the provisions of these rules shall prevail. Overriding effect.

(2) The policy issued *vide* notification No. Sports-Estt-DA-I-2014/23501-23555, dated the 15th July, 2014 is hereby rescinded:

Provided that a sportsperson whose application is pending under the said policy on the date of notification of these Rules shall be eligible to apply under these rules and his previous application shall not be considered.

SCHEDULE-I

[see rule 4 (1)]

INDIVIDUAL EVENT

Category No.	Tournament	Organizing Authority	Medal Winner			Participant	
			Gold	Silver	Bronze	Quarter Finals or above	Below Quarter Final level
1	Olympics	IOC	HCS or HPS (with 8-year seniority)	HCS or HPS (with 4-year seniority)	HCS or HPS	Group A (other than HCS or HPS)	Group B
	Paralympics	IPC					
2	4-year World Championship	International Federation of concerned game recognized by IOC/IPC	HCS or HPS (with 4-year seniority)	HCS or HPS	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C
3	Asian Games	OCA	HCS or HPS	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	NIL
	Asian Para Games	APC					
4	Commonwealth Games	CGF	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	NIL	NIL
	Commonwealth Games (Para-Sports)						
5A	World Championship (annual or biennial)	International Federation of concerned game recognized by IOC/IPC	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	NIL	NIL
	IBSA World Games	IBSA					
	Deaflympics	ICSD					
5B	World Championship (once in 1, 2 or 4 years)	International Federation of concerned game recognized by IOC/IPC	Group B	Group C	Group C	NIL	NIL
6A	World University Games	IUSF	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group B	Group C	NIL
6B	World University Games	IUSF	Group B	Group C	Group C	NIL	NIL

7A	Asian / Commonwealth Championship (once in 1, 2 or 4 years)	Asian Federation of concerned game affiliated to OCA; or CGF; or International Federation recognized by IOC/IPC	Group B	Group C	Group C	NIL	NIL
	Special Olympics	As recognized by the MYAS					
7B	Asian / Commonwealth Championship (once in 1, 2 or 4 years)	Asian Federation of concerned game, affiliated to OCA; or CGF; or International Federation recognized by IOC/IPC	Group C	NIL	NIL	NIL	NIL

Abbreviations Used:

APC - Asian Paralympic Committee

CGF - Commonwealth Games Federation

HCS - Haryana Civil Services

HPS - Haryana Police Services

IBSA - International Blind Sports Federation

ICSD - International Committee of Sports for the Deaf

IOC - International Olympic Committee

IPC - International Paralympics Committee

IUSF - International University Sports Federation

MYAS - Ministry of Youth Affairs and Sports

OCA - Olympic Council of Asia

SCHEDULE-II

[see rule 4 (1)]

TEAM EVENT

Category No.	Tournament	Organizing Authority	Medal Winner			Participant	
			Gold	Silver	Bronze	Quarter Final or above	Below Quarter Final level
1	Olympics	IOC	HCS or HPS	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	Group C
	Paralympics	IPC					
2	4-year World Championship	International Federation of concerned game recognized by IOC/IPC	HCS or HPS	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	Group C
3	Asian Games	OCA	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	Group C	NIL
	Asian Para Games	APC					
4	Commonwealth Games	CGF	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	Group C	NIL
	Commonwealth Games (Para-Sports)						
5A	World Championship (annual or biennial)	International Federation of concerned game recognized by IOC/IPC	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	NIL	NIL
	IBSA World Games	IBSA					
	Deaflympics	ICSD					
5B	World Championship (once in 1, 2 or 4 years)	International Federation of concerned game recognized by IOC/IPC	Group B	Group C	Group C	NIL	NIL
6A	World University Games	IUSF	Group A (other than HCS or HPS)	Group B	Group C	Group C	NIL
6B	World University Games	IUSF	Group B	Group C	Group C	NIL	NIL

7A	Asian / Commonwealth Championship (once in 1, 2 or 4 years)	Asian Federation of concerned game affiliated to the OCA; or CGF; or International Federation recognized by IOC/IPC	Group B	Group C	Group C	NIL	NIL
	Special Olympics	As recognized by the MYAS.					
7B	Asian / Commonwealth Championship (once in 1, 2 or 4 years)	Asian Federation of concerned game affiliated to the OCA; or CGF; or International Federation recognized by IOC/IPC	Group C	NIL	NIL	NIL	NIL
	4-year Blind Cricket World Cup	WBCC					

Abbreviations Used:

APC - Asian Paralympic Committee
CGF - Commonwealth Games Federation
HCS - Haryana Civil Services
HPS - Haryana Police Services
IBSA - International Blind Sports Federation
ICSD - International Committee of Sports for the Deaf
IOC - International Olympic Committee
IPC - International Paralympics Committee
IUSF - International University Sports Federation
MYAS - Ministry of Youth Affairs and Sports
OCA - Olympic Council of Asia
WBCC - World Blind Cricket Council

The 5th September, 2018.

ASHOK KHEMKA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Sports and Youth Affairs Department.

FORM-I

[see rule 9 (1)]

INDIVIDUAL EVENT

Application No. ____________

(For office use only)

Self-attested Photo

1. Name: ____________
2. Date of Birth (enclose Birth Certificate or Matriculation Certificate): ____________
3. Mailing Address: ____________
4. Aadhaar No.: ____________ Mobile Phone No.: ____________
5. Are you domicile/resident of Haryana? Yes / No (If Yes, attach certificate)
6. If No, which State are you a domicile/resident of ? ____________
7. Have you played at the National Level? Yes / No
8. If Yes, which State/Unit you represented ? ____________
9. Educational Qualifications (enclose certificates): ____________
10. Type and Percentage of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic Sports - enclose certificate): ____________
11. Name of Sports Discipline: ____________
12. Best Sports Achievement(enclose certificate):
    - i. Name of Tournament: ____________
    - ii. Organizing Authority: ____________
    - iii. Month & Year: ____________
    - iv. Venue of Tournament: ____________
    - v. Level of Tournament: ____________
    - vi. Medal won (if any): ____________
    - vii. Whether reached Quarter-Final ? Yes/No

Declaration by Sportsperson

1. I have read the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 and declare that I am eligible for consideration of appointment under these Rules.
2. I have enclosed self-attested copies of all documents in support of my application.
3. I did not represent a State/UT other than Haryana at the national level.
4. I am not guilty of doping, sexual harassment and abuse, competitive manipulation like betting, inside information, match fixing, tanking threatening the integrity and essence of sports.
5. If offered appointment, I undertake I will have no subsisting contract for pecuniary gains like commercial endorsement or professional sport before joining the service.

It is certified that the above particulars given by me are true and correct. There is no material concealment. In case of wrong information furnished or material concealment, my service may be terminated without notice.

Date: ____________

(Signature of Sportsperson)

VERIFICATION BY NATIONAL SPORTS FEDERATION

Certified that the particulars declared by the sportsperson have been checked, verified and found correct.

Date:___________

Signature and Seal of the
Secretary/President of National Sports Federation concerned

.... For official use only ....

RECOMMENDATION OF DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA

Certified that self-attested copies of documents submitted by the applicant have been checked with the original and found correct.

Name ________________________________, Aadhaar No. ____________________ bearing Application No. __________________ is recommended for ____________________________ job.

List of Documents checked:

1. Domicile/Residence Certificate
2. Birth Certificate or Matriculation Certificate
3. Sports Achievement Certificate
4. Educational Qualification Certificate
5. Certificate of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic - Sports)

Date: ________

(DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA)

Countersigned by:-

Date: ________

(PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
SPORTS & YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT)

FORM-II

[see rule 9 (1)]

TEAM EVENT

Application No. ____________

(For office use only)

Self-attested Photo

1. Name: ____________
2. Date of Birth (enclose Birth Certificate or Matriculation Certificate): ____________
3. Mailing Address: ____________
4. Aadhaar No.: ____________ Mobile Phone No.: ____________
5. Are you a domicile/resident of Haryana ? Yes / No (If Yes, attach certificate)
6. If No, which State/UT are you a domicile/resident of ? ____________
7. Have you played at the National Level ? Yes / No
8. If yes, which State/Unit you represented ? ____________
9. Educational Qualification(enclose certificate): ____________
10. Type and Percentage of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic Sports - enclose certificate): ____________
11. Name of Sports Discipline: ____________
12. Best Sports Achievement (enclose certificate):
    - (i) Name of Tournament: ____________
    - (ii) Organizing Authority: ____________
    - (iii) Month & Year: ____________
    - (iv) Venue of Tournament: ____________
    - (v) Level of Tournament: ____________
    - (vi) Medal won (if any): ____________
    - (vii) Whether reached Quarter-Final? Yes / No
    - (viii) Total number of games played by team in the tournament: ____________
    - (ix) Number of games played by me in the tournament: ____________

DECLARATION BY SPORTSPERSON

1. I have read the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 and declare that I am eligible for consideration of appointment under these Rules.
2. I have enclosed self-attested copies of all documents in support of my application.
3. I have played in 50% or more of the games played by team in the tournament at serial no. 12 above.
4. I did not represent a State/UT other than Haryana at the national level.
5. I am not guilty of doping, sexual harassment and abuse, competitive manipulation like betting, inside information, match fixing, tanking threatening the integrity and essence of sports.
6. If offered appointment, I undertake I will have no subsisting contract for pecuniary gains like commercial endorsement or professional sport before joining the service.

It is certified that the above particulars given by me are true and correct. There is no material concealment. In case of wrong information furnished or material concealment, my service may be terminated without notice.

Date: ________

(Signature of Sportsperson)

VERIFICATION BY NATIONAL SPORTS FEDERATION

Certified that the particulars declared by the sportsperson have been checked, verified and found correct.

Date: ________

Signature and Seal of the
Secretary/President of National Sports Federation concerned

.... For official use only ....

RECOMMENDATION OF DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA

Certified that self-attested copies of documents submitted by the applicant have been checked with the original and found correct.

Name ______________________________________, Aadhaar No. ______________________________ bearing Application No. ______________________ is recommended for ______________________________________ job.

List of Documents checked:

1. Domicile/Residence Certificate
2. Birth Certificate or Matriculation Certificate
3. Sports Achievement Certificate
4. Educational Qualification Certificate
5. Certificate of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic - Sports)

DATE: ________

(DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA)

Countersigned by:-

DATE: ________

(PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
SPORTS & YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT)

56525—C.S.—H.G.P., Chd.

VERIFICATION BY NATIONAL SPORTS FEDERATION

Certified that the particulars declared by the sportsperson have been checked, verified and found correct.

Date: ________

Signature and Seal of the
Secretary/President of National Sports Federation concerned

.... For official use only ....

RECOMMENDATION OF DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA

Certified that self-attested copies of documents submitted by the applicant have been checked with the original and found correct.

Name ______________________________, Aadhaar No. ________________________ bearing Application No. __________________ is recommended for ____________________________ job.

List of Documents checked:

1. Domicile/Residence Certificate
2. Birth Certificate or Matriculation Certificate
3. Sports Achievement Certificate
4. Educational Qualification Certificate
5. Certificate of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic - Sports)

DATE: ________

(DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA)

Countersigned by:-

DATE: ________

(PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
SPORTS & YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT)

56525—C.S.—H.G.P., Chd.